



Neutral Citation No. - 2026:AHC:176601

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 3578

सन् 2026

हीरालाल यादव

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार मौर्य, मृगराज सिंह, प्रखर सरन श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 16.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रखर सरन श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0003 सन् 2021 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी और 34 के अंतर्गत, थाना- ई.ओ.डब्ल्यू. वाराणसी सेक्टर, जिला- वाराणसी में अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 2004-05 में निधि के गबन के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत देर से, यानी दिनांक 03.02.2021 को दर्ज की गई है। अभियुक्त आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, जिसे प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस मिला हुआ था। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त आवेदक को मजदूरों को वितरण हेतु राशन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन उसे बांटा नहीं गया। गबन का आरोप है। यह आरोप 2004-05 के समय का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी ठोस आधार के 2021 में दर्ज की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने गुरसेवक सिंह बनाम पंजाब राज्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 873 प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि विवेचना में देरी जमानत देने का आधार हो सकता है, और वे इस समय अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्होंने समय मांगा है।

5. अग्रिम जमानत का दायरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन अहम फैसलों में बताया गया है: गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य जो (1980) 2 एससीसी 565 में प्रकाशित है, सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य जो (2011) 1 एससीसी 694 में प्रकाशित है, और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व अन्य जो (2020) 5 एससीसी 1 में प्रकाशित है, इन फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, अभियुक्त की विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की इच्छा तथा अभियुक्त के आचरण एवं फरार होने के जोखिम जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. यह अदालत दलीलों, आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ अभियुक्त के भागने का कम जोखिम और विवेचना और विचारण



में सहयोग करने के उसके आश्वासन पर विचार करने के बाद, उसे अंतरिम जमानत देने के विचार पर पहुंची है।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **हीरालाल यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 08.05.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय से छूट मिलने के अलावा, तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. इस प्रकरण को दिनांक 08.05.2026 को सूचीबद्ध करें।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख तक निर्देश प्राप्त कर लें।"

2. आज, जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। यह घटना 2004-05 की है। सह अभियुक्त अशोक कुमार श्रीवास्तव, राम शिरोमणि उपाध्याय और रामधारी को क्रमशः **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या 8000/2026, 4428/2026 और 4417/2026** में अग्रिम ज़मानत मिल चुकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्तों के प्रकरण जैसा ही है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है। और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और इसी तरह के प्रकरण में शामिल अन्य अभियुक्तों को अग्रिम ज़मानत मिल चुकी है। जिस घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, वह 2004-2005 में हुई बताई जाती है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत देर से, यानी 2021 में दर्ज की गई। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक इस न्यायालय के आदेश पर अंतरिम अग्रिम ज़मानत पर है और यह नहीं कहा गया है कि उसने इस ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. यदि आवेदक **हीरालाल यादव** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 0003 सन् 2021, के अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी और 34 भारतीय दंड संहिता, थाना- ई.ओ.डब्ल्यू. वाराणसी सेक्टर, ज़िला- वाराणसी में उसी शर्तों पर अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा, जो दिनांक 16.04.2026 के आदेश में बताई गई थीं।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

20 अगस्त, 2026

सचिन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।